माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–14.10.2026 (बुधवार) को अमीन संघ के लंबित माँगों को लेकर उनके संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–विभागीय वरीय पदाधिकारी, अमीन संघ के प्रतिनिधियों एवं अन्य सदस्य।

2. दिनांक–14.09.2026 को माननीय विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में अमीन के संघों के प्रतिनिधियों एवं सदस्यों के साथ वार्ता बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में माननीय मंत्री वार्ता बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित पदाधिकारियों, अमीन संघ के प्रतिनिधियों एवं अन्य सदस्य को संबोधित किया गया।

3. अमीन का पदनाम परिवर्तित कर सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी करने के संबंध में माननीय विभागीय मंत्री द्वारा अमीन संघ के प्रतिनिधियों एवं अन्य सदस्य को सूचित किया गया कि अमीन के समकक्ष राज्य अन्तर्गत कार्यरत अन्य संवर्गों के कर्मियों के पदनाम परिवर्तन पर बिहार सरकार द्वारा सामुहिक निर्णय के उपरान्त सर्वप्रथम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अमीन के पदनाम परिवर्तन पर कार्रवाई की जाएगी।

4. अमीन के मूल कोटि का वेतनमान को लेवल–03 से लेवल–06 किये जाने के बिन्दु पर अमीन संघ के प्रतिनिधियों एवं अन्य सदस्य को सूचित किया गया कि वित्त विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया है। परन्तु वित्त विभाग से उक्त के संबंध में वार्ता करने के उपरान्त राज्य अन्तर्गत कार्यरत अन्य संवर्गों के कर्मियों के संबंध में बिहार सरकार द्वारा निर्णय लेने के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा कार्रवाई करने का आश्वासन माननीय विभागीय मंत्री द्वारा दिया गया।

5. अमीनों को नजदीकी जिला में स्थानांतरण किये जाने हेतु विभागीय वेब पोर्टल के माध्यम से 05 (पाँच) ऐच्छिक विकल्पों के साथ आवेदन प्राप्त किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में बिहार अमीन स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति–2026 के तहत स्थानांतरण किये जाने का निदेश माननीय विभागीय मंत्री द्वारा दिया गया है। वर्तमान में विभाग अन्तर्गत कार्यरत अमीनों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए शत प्रतिशत अमीनों की ऐच्छिक पदस्थापन किया जाना संभव नहीं है। कुल–765 नये अमीनों की नियुक्ति के तत्पश्चात् ऐच्छिक विकल्प प्राप्त करते हुए स्थानांतरण किये जाने का आश्वासन माननीय विभागीय मंत्री द्वारा अमीन के संघों के उपस्थित प्रतिनिधियों एवं अन्य सदस्यों को दिया गया।

6. क्षेत्र भ्रमण भत्ता एवं इंटरनेट भत्ता अमीन को दिये जाने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा अस्वीकृत किये जाने की सूचना उपस्थित संघ के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को दी गयी।

7. अमीनों के सेवा संपुष्टि किये जाने हेतु सभी समाहर्त्ता, बिहार से अनुरोध किये जाने का माननीय मंत्री द्वारा निदेश दिया गया। साथ ही सेवा संपुष्टि के निमित्त अमीन द्वारा कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा में भाग लेने हेतु बिपार्ड से अविलम्ब Slot Book कराने की कार्रवाई का निदेश दिया गया।

8. शत प्रतिशत त्रुटिरहित मापी किये जाने के निमित्त मापी में आधुनिक उपकरणों का उपयोग किये जाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

9. संवेदनशील मामलों में मापी हेतु अमीन के साथ अतिरिक्त कर्मियों की प्रतिनियुक्ति किये जाने हेतु समाहर्त्ता से अनुरोध किये जाने का निदेश माननीय विभागीय मंत्री द्वारा दिया गया है।

10. मापी के विवादित मामलों में मापी स्थल पर आवेदनकर्त्ता एवं भूमि से संबंधित अन्य भू–स्वामी के बीच आपसी विवाद के कारण अमीन के विरूद्ध FIR वरीय पदाधिकारी के अनुश्रवण/जाँच के बाद ही दर्ज किये जाने के संबंध में सभी समाहर्त्ता एवं पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किये जाने का निदेश दिया गया है।

11. अमीन के प्रोन्नति के निमित्त 45 दिनों के अन्दर प्रोन्नति के पदसोपान (लेवल–04 एवं 05 के पद) सृजित किये जाने की कार्रवाई का आश्वासन माननीय विभागीय मंत्री द्वारा अमीन के संघों के उपस्थित प्रतिनिधियों एवं अन्य सदस्यों को दिया गया।

12. विशेष अभियान के दौरान मापी की प्रक्रियाओं में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु वाट्सअप ग्रुप बनाकर प्रत्येक जिला से एक–एक अमीन को जोड़ने का निदेश दिया गया है।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

26/10/2026

(अमित कुमार पाण्डेय)भा०प्र०से०
अपर सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–4/क्षे0 स्था0 अमीन (विविध)–18–01/2025–550(04)/रा0, दिनांक– 27/10/26

ई–मेल

प्रतिलिपि :–सभी समाहर्त्ता, बिहार/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी वरीय पदाधिकारी/कनीय पदाधिकारी/ओई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/महामंत्री एवं अध्यक्ष बिहार राजस्व अमीन संघ Email.ID-biharrajaswaaminsangh@gmail.com) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रषित।

27/10/26

(निरंजन यादव)
सरकार के अवर सचिव।